

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
झॉसी।

सेवा में,

- 1- कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झॉसी।
- 2- उच्च शिक्षा अधिकारी झॉसी।
- 3- निदेशक, बी०आई०ई०टी०, झॉसी।
- 4- प्रधानाचार्य, म०ल०ब०मेडिकल, कालेज झॉसी।
- 5- निदेशक, एस०आर०गुप, का०अम्बावाय झॉसी।
- 6- प्रधानाचार्य, बुन्देलखण्ड आर्युवेदिक का झॉसी।
- 7- निदेशक विद्ययावती का० ऑफ फार्मसी झॉसी।
- 8- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक झॉसी।
- 9- प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटैक्निक झॉसी।
- 10- निदेशक, राजघवेन्द्र नर्सिंग का० झॉसी।
- 11- निदेशक चन्द्र शेखर आजाद इंस्टीट्यूट, झॉसी।
- 12- सयुक्त निदेशक, प्रतिक्षु झॉसी।
- 13- जिला विद्यालय निरीक्षक झॉसी।

पत्रांक:- 581-95/पि०व०क०/छात्रवृत्ति/2020-21

दिनांक:- 9/2/2021

विषय:- छात्रवृत्ति की धनराशि खातों में अन्तरण न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में ध्यान, आकृष्ट, कराना है कि यह देखने में आ रहा है कि गत वर्ष के कई छात्र/छात्राओं जिनकी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत हुई है और उनके खातों में ऑनलाईन धनराशि भेजी गयी है, परन्तु धनराशि के०वाई०सी०पूर्ण न होने या खाता माइनर होने या जनधन खाता होने से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रु० 50000.00 से अधिक धनराशि अन्तरित नहीं हो पाती और वापस हो जाती है।

अतः अपने स्तर से समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित कर दें कि वे माइनर व जनधन खातों को सामान्य खाते करवा लें और के०वाई०सी०पूर्ण करा लें। कभी-कभी खाते में लेन देन न होने पर भी खातों पर बैंक रोक लगा देते हैं, ऐसे खातों में भी लेन देन कर सक्रिय कर लें अन्यथा छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस हो सकती है।

भवदीय

9.2.2021

(आर०डी०यादव)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
झॉसी

पत्रांक:- /पि०व०क०/छात्रवृत्ति/2020-21

दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

- 1-जिलाधिकारी महोदय झॉसी।
- 2-मुख्य विकास महोदय अधिकारी झॉसी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
झॉसी